Corruption in Super Bazar

1908. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have taken any measures to check corruption in Super Bazar and also for increasing its efficiency;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have held any talks with the employees in this regard;

(d) whether the employees have submitted any proposals in this regard; and

(e) if so, the details thereof and what action has been taken thereon?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) to (e) Super Bazar is an autonomous Cooperative Society with its own management. The management reviews the performance at regular intervals. Govt. of India also reviews the performance from time to time. A senior officer is posted in Super Bazar exclusively looking after vigilance functions.

No specific proposal in this regard has been received from the employees of Super Bazar. Government have not held any talks with the employees of Super Bazar in this regard.

Statement by Commerce Minister regarding 'Reforms' in Economic Policy

1909. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether he has said, as reported in the 'Financial Express' dated 27th July, 1995 that further 'reforms' in economic policy will be effected only by consensus;

(b) whether Government has okayed the WTO agreement on financial services after consulting major opposition parties; and

(c) the number of Indian Banks and their branches operating in UK and USA and the number of British and American Banks and their branches operating in India?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) It is government's declared policy to achieve consensus on policies relating to economic reforms.

(b) The negotiations on financial services and movement of natural persons were a spill over of the Uruguary Round negotiations and did not involve any new agreement. These negotiations were under the General Agreement on Trade in Services which was finalised as part of the Uruguay Round package which was discussed extensively in Parliament and with major opposition parties.

(c) Six Indian banks having twenty five branches are operating in the U.K. and three Indian banks having eight branches are operating in the U.S.A. Three British banks having twenty eight branches and four American banks having fifteen branches are operating in India.

श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णय

1910. **श्री ईशदत्त यादव:**
डा॰ बापू कालदाते:
श्रीकनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 6 फरवरी, 1992 को हुए राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय लिये गये थे; और

(ख) 30 जून, 1995 तक किन-किन निर्णयों को स्वीकार किया गया है और किन-किन सुझावों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है?

श्रम मंत्री (पी॰ ए॰ संगमा): (क) और (ग): 6.2.92 को आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय और उन पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

6 फरवरी, 1992 को नई दिल्ली में आयोजित श्रम मंत्रियों के 40वें सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्रवाई

मद संख्या	निर्णय	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	औद्योगिक संबंध विधान की पुनर्संरचना के संबंध में रामानुजम समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। मतैक्य पर पहुंचने और भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा विचार करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 5 राज्यों के श्रम मंत्रियों के एक दल को असहमति वाले क्षेत्रों की जांच करनी चाहिए।	इस निर्णय के अनुसरण में, 25 फरवरी, 1992 को केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश, प॰ बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के श्रम मंत्रियों को शामिल करके एक समिति गठित की गयी थी। समिति की रिपोर्ट को 7-8 सितम्बर, 1992 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के विचारार्थ रखा गया था।
2.	जहां तक नयी औद्योगिक नीति का संबंध है सम्मेलन सिफारिश करता है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करने, उनके कल्याण में बढ़ोत्तरी करने और कौशल उन्नयन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि वे प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के साथ समायोजन कर सकें।	इस निर्णय पर विचार करते समय, सरकार ने नोट किया कि नयी औद्योगिक नीति की दृष्टि से कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए 3.2.92 को राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गयी है। निधि का एक घटक अर्थात् राष्ट्रीय नवीकरण अनुदान निधि (एन आर जी एफ) का उद्देश्य रूग्ण इकाइयों के पुनरूज्जीवन अथवा बंदी के कारण ऐसी इकाइयों में श्रमिकों की तात्कालिक आवश्यकताओं से निपटना था। अन्य बातों के साथ-साथ इस निधि का उद्देश्य पुनर्प्रशिक्षण, पुनर्नियोजन, परामर्शों और रोजगारों से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित करना था। श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण ने उन कर्मकारों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किया जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा जो अन्यथा फालतू कर्मकार करार दिये गये हैं। वर्तमान में 1585 कर्मकारों के एक बैच को अहमदाबाद, पुणे, नागपुर, धनबाद, बंगलौर, मंगलौर, कोलार, कोयम्बटूर और कोचीन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अभी तक इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए डी जी ई टी को 10 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गयी है।
3.	अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 20/- रुपये प्रति दिन से कम निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी को 3 से 4 वर्षों के अन्तराल पर संशोधित किया जाना चाहिए और उसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध घटक का प्रावधान होना चाहिए।	केन्द्रीय सरकार ने अपनी ओर से उन 40 अनुसूचित नियोजनों, जिनके संबंध में यह समुचित सरकार है, के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर 20/- रुपये प्रति-दिन अथवा अधिक निर्धारित की है। राज्य क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के लिए मजदूरी की न्यूनतम मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण के लिए राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन समुचित सरकारें हैं। ग्रामीण कर्मकारों के लिए 20/- रुपये प्रतिदिन मूल न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किये जाने से संबंधित रा॰ ग्रा॰ श्रम आयोग की सिफारिशों को सभी

1	2	3
		राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में लाया गया है। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 40 वें सत्र के अनुवर्ती इस सिफारिश को विभिन्न स्तरों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए पुन: दोहराया गया है। इसी प्रकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गयी है कि जब तक न्यूनतम मजदूरी के भाग के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध परिवर्ती संघटक का प्रावधान नहीं हो जाता है तब तक दो वर्षों में एक बार मजदूरी की दरों की पुनरीक्षा/संशोधन करें।
4.	प्रबंधन में कर्मवार सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि कर्मकारों और प्रबंधन द्वारा उत्पादकता तथा दक्षता के महत्व एवं प्रबंधन की समस्याएं तथा कर्मकारों के लिए कल्याणकारी उपायों की आवश्यकता की जानकारी की जा सके।	संविधान के 1976 के संशोधन के अनुसार भी, प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता संबंधी आनुक्रमिक योजनाएं शुरू की गयीं और कार्यान्वयन के लिए ली गयीं। जो योजना अब प्रचलन में है उसे ही सरकार ने 30 दिसम्बर, 1993 को अधिसूचित किया। तदुपरान्त, प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता विधेयक, जिसे इस प्रयोजनार्थ मई, 1990 में पुन: स्थापित किया गया था, की अभी श्रम और कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग जांच-पड़ताल कर रहा है। फिलहाल, विद्यमान योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जा रही है और समय समय पर प्रबोधन किया जा रहा है।
5.	कई राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इक्विटी कैपिटल में प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता और श्रमिकों द्वारा रुग्ण औद्योगिक उद्यमों के प्रबंधन के लिए जाने का समर्थन किया।	इस सुझाव पर विचार करते हुए सरकार ने नोट किया कि 24.7.1991 को घोषित की गई नई औद्योगिक नीति में परिकल्पना की गई है कि रुग्ण कम्पनियों को फिर से चालू करने के लिए तैयार किए गए पैकेजों में भाग लेने के लिए श्रमिकों सहकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत श्रमिक सहकारियों को शामिल किए जाने पर राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा विचार किया गया और यह सहमति व्यक्त की गई कि कुछ अनुबंधों और शर्तों के अधीन श्रमिक सहकारियों को राष्ट्रीय नवीकरण निधि को सहायता प्रदान की जाएगी।

Sugar Production in Gujarat

1911. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the annual average production of sugar in sugar mills set up in Gujarat as on date;

(b) whether the production of sugar in the State is less than the national average;

(c) if so, what is the total production year-wise during the last three years as against the national average;

(d) what is the total quantity of sugarcane which is being made available to aforesaid sugar mills each year as against the national average; and

(e) what steps have been taken by